

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश)

पत्रांक 7077 / वाद संख्या सी-0797 / एस-11 / 2023

दिनांक 04/12/23

श्री पवन ठाकुर,

निकट-लक्ष्मी पैलेस होटल,

सहारनपुर रोड, माजरा देहरादून।

आपके द्वारा उपरोक्त पते/स्थल पर बिना स्वीकृत मानचित्र/अनुमति के जैसा कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत अनिवार्य है, अनाधिकृत निर्माण/अनाधिकृत विकास करने पर उपरोक्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद संख्या सी-0797 / एस-11 / 2023 योजित किया गया।

उपरोक्त वाद में दिनांक 28.7.2023 को धारा 27 (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत आपको कारण बताओ एवं कार्य रोकने नोटिस प्रेषित किया गया जो कि आपके पते पर दिनांक 28.7.2023 को तामील कराया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि आप द्वारा स्थल पर भूतल में लगभग 50 गुणा 70 फिट के क्षेत्रफल में बेसमेंट, भूतल, प्रथमतः, द्वितीय तल पर छत डालते हुए तृतीय तल पर कॉलम हेतु सरिया बंधाई का कार्य करते हुए व्यवसायिक निर्माण कार्य किया जा रहा है। तथा आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये दिनांक 02.8.2023 नियत की गयी।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त वाद में दिनांक- 02.8.23, 16.8.23, 06.9.23, 13 की तिथि नियत की गयी थी, उक्त तिथि को आप उपस्थित/अनुपस्थित रहे। उक्त तिथि को आपके द्वारा प्रार्थना पत्र व स्वीकृत मानचित्र की प्रति प्रस्तुत किया गया। अवर अभियंता/सहायक अभियंता की आख्यानानुसार विपक्षी द्वारा R.S.B को आंशिक रूप से प्रभावित करते हुए निर्माण किया जा रहा है। चतुर्थ तल पर अतिरिक्त तल निर्माण हेतु 08 फिट उचाई तक कॉलमों का निर्माण किया गया है। तृतीय तल पर कवर्ड एरिया बढ़ाते हुए निर्माण किया गया है। निर्माण स्वीकृत मानचित्र से भिन्न दो भूखण्डों को जोड़ते हुए किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि आप उक्त वाद को जानबूझकर लम्बित रखना चाहते हैं। उक्त वाद को लम्बित रखना न्यायहित में उचित नहीं है।

अतः उक्त परिस्थितियों में तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन उपरान्त आपके अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग के आदेश पारित करने का विकल्प ही शेष रह जाता है।

— आदेश—

अतः श्री पवन ठाकुर, निकट-लक्ष्मी पैलेस होटल, सहारनपुर रोड, माजरा देहरादून द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के जैसा कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 सुसंगत धारा 28(ए) के चालानशुदा निर्माण एवं उसके पश्चात किये गये समस्त अग्रेतर निर्माण को सील के आदेश पारित किए जाते हैं। उक्त अवैध निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 04.12.23 को सील किया जाना है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दे तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को ये भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगाई गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के समान है जोकि कानून दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामील की जाय।

31/12/23

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

देहरादून,

20/12